

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची।

आदेश

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./64/13/.....राँची, दिनांक:.....

दिनांक-26.06.2013 को **Rain Water Harvesting and Ground water Recharging** विषय से संबंधित कार्यशाला में हुए विमर्श के आधार पर Actionable Work Plan तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति निम्नवत् गठित की जाती है:-

- | | | | |
|------|---|---|------------|
| i | प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, | - | अध्यक्ष |
| ii | विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, | - | सदस्य |
| iii | अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, | - | सदस्य |
| iv | अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, | - | सदस्य |
| v | परामर्शी-II, जल संसाधन विभाग, | - | सदस्य |
| vi | निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, | - | सदस्य-सचिव |
| vii | नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि, | - | सदस्य |
| viii | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि, | - | सदस्य |
| ix | श्री डी० साहा, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड,
पटना, | - | सदस्य |
| x | श्री के० भी० के० कृष्णामूर्ति संयोजक, केन्द्रीय
विश्वविद्यालय, राँची | - | सदस्य |
| xi | श्री टी० एन० मिश्रा, तत्कालीन निदेशक,
खनन एवं भूतत्व विभाग, बिहार, | - | सदस्य |
| xii | श्री के० आर० गोपीनाथ, रेन वाटर हार्भेस्टिंग
फाउण्डेशन, चेन्नई, | - | सदस्य |

उक्त समिति विमर्शोपरान्त Actionable Work Plan तैयार कर विभाग को प्रतिवेदित करेगी।

३०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./64/13/.....राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि:-समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

३०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./64/13/.....⁵⁰³.....राँची, दिनांक: 03/07/2013.

प्रतिलिपि:-वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)